

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/148
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00130
CICOM/R/2019/00358

दिनांक: 18.07.2019

अपीलकर्ता : श्री ललितेश्वर तिवारी,
डी-76-सी, ओल्ड स्लम क्वार्टर,
पश्चिमपुरी, नई दिल्ली - 110063.

निर्णय की तारीख: 18.07.2019

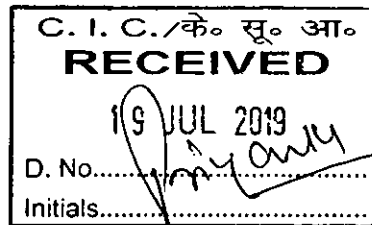
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.05.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 22.05.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राजेश मोंगिया, श्री जीवन चंद, श्री आर. पी. गोवर, श्री टी.बी.जे.एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.07.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	219/15.07.2019 (14719/12.07.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 24.04.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आठ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अधूरी सूचना प्रदान की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 10.06.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 2 एवं 3 के संदर्भ में श्री आर. पी. गोवर, बिंदु सं. 4 एवं 6 के संदर्भ में श्री डॉ. राजेश मोंगिया, बिंदु सं. 6 एवं 7 के संदर्भ में श्री जीवन चंद एवं बिंदु सं. 5 एवं 8 के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा बिंदुवार सूचनाएं निर्धारित समयवधि में प्रदान की गई हैं। उक्त सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं पूर्ण, स्पष्ट एवं तथ्यानुसार हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



राजेश
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2. श्री राजेश मोंगिया/श्री जीवन चंद/श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

19/7/19

OK

17/7/19